**भारत सरकार**
**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**
**औषध विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2327**
**दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**ब्रिक्स देशों हेतु सस्ती दवाएं**

**2327. श्री गोपाल शेट्टीः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने ब्रिक्स देशों हेतु सस्ती दवाओं पर जोर दिया है;

(ख) क्या ब्रिक्स देश अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातों में परस्पर सहमति, सूचना के आदान-प्रदान तथा विनियामक अनुमोदन देने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्रिक्स विनियामक औषधि तथा भेषज तथा सुरक्षित, प्रभावी, वहनीय तथा गुणवत्तापूर्ण दवाओं को बढ़ावा देने हेतु मानक प्रमाणन तथा विनियामक तंत्र हेतु विनियामक सहयोग से संबंधित प्रारूप समझौता ज्ञापन पर सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)**

(क) से (ङ): 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की घोषणा के अनुसार, शिखर सम्मेलन के दौरान महामारी को समाप्त करने, संचारी रोगों से निपटने और सुरक्षित, प्रभावकारी, गुणवत्तापूर्ण और वहनीय आवश्यक दवाओं तक पहुंच मुहैया कराने के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के सुदृढ़ीकरण हेतु दवा एवं नैदानिक उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया था। वहनीय, प्रभावोत्पादक, सुरक्षित और गुणवत्ता वाले चिकित्सीय उत्पादों, टीकों और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तथा अन्य पहलुओं तक पहुंच में बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ब्रिक्स विनियामकों ने चिकित्सीय उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी मसौदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोग के क्षेत्र में चिकित्सा उत्पाद विनियमन, जीएमपी विनियमन और प्रवासी निरीक्षण, नैदानिक परीक्षण विनियमन, चिकित्सा उपकरण विनियमन, जैविक उत्पादों का विनियमन, चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता आदि के साथ-साथ दैनिक और/या आपातकालीन प्रयोजनों के लिए विनियामक एवं जन स्वास्थ्य सूचना के आदान-प्रदान संबंधी तौर-तरीके निर्धारित करना शामिल हैं।

*****